जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/rpba/25 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | मंगलवार, 12 जनवरी 2021

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश, अवैध निर्माणों को सील करो!!ध्वस्त करो!! नहीं तो लापरवाह अधिकारी पर कार्यवाही करो!!

भाग-3

माननीय गुलाब कोठारी की जनहित याचिका 1554/2004 पर फैसला सुनाते हुए दिए है विस्तृत आदेश!!

नगर निगम,हेरिटेज के आदर्श नगर ज़ोन में बिना पुनर्विभाजन करवाए,बिना अनुमति ,आवासीय भूखंड संख्या 682-A ,फ्रंटियर कॉलोनी आदर्श नगर पर बिना सेटबैक छोड़े बन रहा अवैध आवासीय/+वसायिक काम्प्लेक्स!!जिसमे बेसमेंट सहित 6 मंजिलों का निर्माण किया जा चुका है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

पत्रिका समूह के प्रधान सम्पादक गुलाब कोठारी की जनहित याचिका पर ऐतिहासिक फैसला...

मास्टर प्लान ही मास्टर गाइडलाइन : हाईकोर्ट

जयपुर और जोधपुर समेत राजस्थान के 6 प्रमुख शहरों के मास्टर प्लान में बदलाव नहीं

कोर्ट का यह फैसला देश-प्रदेश के सुनियोजित विकास की दिशा करेगा तय

मूलभूत सुविधाओं की सुनिश्चितता पर जोर

06 याचिकाओं | 13 साल तक चली सुनवाई | 14 जजों ने की सुनवाई | 17 वकीलों ने की पैरवी | 257 पृष्ठों का दिया फैसला

...याचिकाओं पर दिया फैसला

...54/2004 ...42/2008 ...645/2008 ...646/2008 ...5907/2008 ...5908/2008

राजस्थान पत्रिका

पृष्ठ 22 जयपुर ■ शुक्रवार, 13 जनवरी 2017 rajasthanpatrika.com

मास्टर प्लान का अक्षरशः पालन हो - हाईकोर्ट | गुलाब कोठारी की याचिका में उठाए मुद्दों पर लगी मुहर

घुटती सांसों, मरते शहरों को संजीवनी

अजितस संगीत लोढ़ा

राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में सरकार को मास्टर प्लान के अक्षरशः पालन के निर्देश दिए। यह फैसला प्रदेश ही नहीं देशभर में आम नागरिकों को खुली-स्वच्छ हवा में पूर्ण नागरिक अधिकारों के साथ जीने की राह प्रशस्त करेगा। राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने तेरह साल पहले ... अप्रैल, 2004 को 'मेरे जयपुर का ये हाल, क्या होना था क्या हो गया' शीर्षक से लेख के ... के माननीय मुख्य न्यायाधीश को लिखा। उच्च न्यायालय ने पत्र को जनहित ...

संकरी सड़कों पर मकान में दुकान के नियमन नहीं हो सकेंगे

राजस्थान में 21 जनवरी से लगने वाले नियमन शिविर लगाने का कोशिश बेमानी

...और ये भी निर्देश | शहरी विकास के नए मापदंड तय किए

बहुमंजिला इमारतों के निर्माण से पहले आधारभूत ढांचा जरूरी

'ऊंची इमारतों से मकां मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए'

क्या होगा : मल्टी स्टोरी बिल्डिंग निर्माण में सभी सुविधाओं का ...

शहरी विकास के लिए त्रिस्तरीय फॉर्मूला होना चाहिए- मास्टर डेवलप्मेंट प्लान, जोन डेवलप्मेंट और समुचित स्कीम के लिए प्लान। निश्चित रूप से रिहायशी क्षेत्रों के विकास के लिए विस्तृत रूप से योजना बनानी होगी। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण शहरी पलायन और जनसंख्या के विस्तार के कारण हुआ है।

सुनियोजित विकास होगा

हमारी सरकार स्वच्छ, सुन्दर और स्मार्ट शहरों के विकास की दिशा में तेजी से काम कर रही है। प्रदेश के सभी शहरों का नियोजित विकास हमारी प्राथमिकता है। ...

तस्वीर-ए-बयां...

पार्किंग नहीं तो इमारतें करनी होंगी सील

नहीं बंटेंगे जमीनों के पट्टे, आगरा रोड से गोनेर रोड तक निर्माण पर रोक

क्या होगा... यदि कहीं पार्किंग क्षेत्र का दूसरा कार्य में उपयोग कर लिया है या उस पर निर्माण कर बेच दिया है, तो पार्किंग के लिए व्यवस्था करनी होगी। हर भवन में पार्किंग अनिवार्य होगी और बिल्डिंग बनाने वाले को पूर्णता प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, उसके बाद भवन का उपयोग हो सकेगा।

हम पर असर... ...

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल–stplsg407@rajasthan.gov.inवेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ.59.एसटीपी/डीएलबी/सामान्य–आदेश(862)/19/5707 दिनांकः 18.07.19

परिपत्र

राज्य सरकार के स्तर पर यह जानकारी में आया है कि राज्य के स्थानीय निकायों के क्षेत्र में बड़े स्तर पर आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक निर्माण होने के साथ शून्य सैटबेक में अवैध निर्माण तथा सड़कों पर बड़े स्तर पर अतिक्रमण/अवैध निर्माण किये जा रहे है। जिससे आम नागरिकों को स्वच्छ जीवन यापन के लिए स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण, प्रदुषण मुक्त वातावरण, बाधामुक्त आवागमन एवं स्वस्थ स्वास्थ्य आदि में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जिससे आमजन को गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अवैध निर्माण से सुनियोजित विकास में अवरोध उत्पन्न होता हे एवं सरकार द्वारा जारी भवन विनियम औचित्यहीन हो जाते है। स्थानीय निकाय की अकर्मण्यता से नगर में अतिक्रमणों से आम नागरिक आहत महसूस करता है, इससे नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ता हैं। स्थानीय निकाय की उदासीनत, कार्यरत कर्मियों/अधिकारियों के कर्तव्यों के पालन में कोताही बरतने से नगरीय निकाय को राजस्व हानि का दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है, तथा शहर दिन–प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है। साथ ही गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी उक्त संदर्भ में कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में समस्त स्थानीय निकाय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण/अतिक्रमणों को काफी गंभीरता से लिया जावे, जिससे बड़े स्तर पर हो रही राजस्व हानि को रोका जा सकें, साथ ही माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना की जा सकें। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि समस्त निकाय क्षेत्र में कोई भी किसी प्रकार का बिना स्वीकृति निर्माण कार्य नहीं होने दें, तथा अवैध निर्माण पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जावे, बिना स्वीकृति किये जा रहे अवैध निर्माणों को तुरन्त प्रभाव से रोका जाकर उचित कार्यवाही करें। साथ ही यह सुनिश्चिता की जावें कि उक्त संबंध में लापरवाही करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

18/7/19

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

क्रमांकः एफ.59.एसटीपी/डीएलबी/सामान्य–आदेश(862)/19/5708–5716 दिनांकः 18.07.19

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

माननीय राज.उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा जारी किये गए दिशा-निर्देश,जिसमे अवैध निर्माण पर कार्यवाही नहीं करने वाले लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारीयों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश दिए है|

9. System analyst cum Joint Director, DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को स्वायत्त शासन विभागकी वेबसाईट पर अपलोड करावें।

18/7/19

(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

सुझाव दिया। विजेता अंशु गुप्ता, रामनारायण

समाज को नुकसान चुप रहने वालों से

आइआइएम निदेशक प्रो. राय के साथ सवाल-जवाब सेशन

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. प्रबंधन क्षेत्र की हस्ती भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर के निदेशक प्रो. हिमांशु राय ने आमजन को अपनी ताकत याद दिलाते हुए कहा कि सरकारें कुछ भी गलत कर

अच्छे नेतृत्व को नहीं सताती निंदा

Q नेतृत्व को निंदा पसंद नहीं है, क्या सोचते हैं?

राय : जिनका अच्छा नेतृत्व नहीं है, उन्हें ही निंदा पसंद नहीं होती। आत्मविश्वासी व्यक्ति जानता है कि उसे पूर्ण ज्ञान नहीं है। वह समझता है जितना ज्ञानार्जन करेंगे, उतना पता चलेगा कि मैं कितना अधूरा हूं। विद्या महान नहीं बनाती बल्कि व्यक्ति इससे विनयशील बनता है। ऐसे व्यक्ति निंदा को भी आसानी से ग्रहण करते हैं और उससे सीखकर आगे बढ़ते जाते हैं।

पं. झाबरमल्ल स्मृति व्याख्यान-पत्रिका सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार समारोह

सरकारें गलत करें तो उठाएं आवाज

प्रबंधन गुरु प्रो. हिमांशु राय ने प्रबंधन के तरीके से लोकतन्त्र में सुधार के रास्ते दिखाए। साथ ही राजस्थान और मध्यप्रदेश में मौजूदा परिस्थितियों में पर्यटन की सम्भावनाएं बताते हुए दोनों सरकारों को इस ओर ध्यान देने का सुझाव दिया।

पत्रिका समूह की ओर से आयोजित वर्चुअल समारोह में पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी, मुख्य अतिथि प्रो. हिमांशु राय और पुरस्कार विजेता अंशु गुप्ता, रामनारायण मीणा, पुष्पा गोस्वामी और संदीप मील।

निर्णायक मंडल

इस साल कहानी और कविता के निर्णायक मंडल में दिल्ली के युवा कहानीकार अभिषेक कश्यप, भिलाई, छत्तीसगढ़ के डॉ. परदेशी राम वर्मा, जयपुर के कथाकार प्रबोध कुमार गोविल और कविता में इंदौर के साहित्यकार हरेराम वाजपेयी, कोटा के अंबिका दत्त और जयपुर के हरिराम मीणा शामिल थे।

प.झाबरमल्ल स्मृति व्याख्यान में प्रबंधन गुरु प्रो.हिमांशु राय द्वारा दिया गया यह सन्देश हमें अवैध निर्माणों के विरुद्ध जनता की आवाज बनने की प्रेरणा देता है साथ ही यह भी सन्देश देता है कि अन्याय के विरुद्ध लड़ी जा रही लडाई में डराने वालो,राह में बाधा उत्पन्न करने वालों से घबराना नहीं है बल्कि दुगुनी शक्ति से उनका सामना करना है|